कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थायें,
दौसा

क्रमांक फा./रजि/संस्थायें 1234 जयपुर, दिनांक 29/09/04

अध्यक्ष/मंत्री,

श्री नेपलावत शिक्षण समिति
सूरतपुरा तहसील लालसोट
जिला- दौसा

विषय : राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण के क्रम में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक 81/दौसा/2004-05 दिनांक 29/09/2004 संलग्न है, जिसकी प्राप्ति का सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

यहा आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4 (क) की सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनायें भिजवाना आवश्यक हैः-

1. संस्था के मामलों का प्रबन्ध जिसको सौंपा गया है, उक्त परिषद् समिति समिति या अन्य प्रार्थी विकास के शाषकों संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद सहित।

2. एक विवरण जिसमे उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है कि दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।

3. संस्था के नियमों और विनियमों का ए क तारीख सही प्रतिलिपि जो प्रार्थी विकल्प के शासको, न्यासी या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

   इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त प्रतियाँ सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से 15 दिवस के अन्दर 2 इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।

4. संस्था द्वारा विधान नियमावली, दस्तावेजों, सूचनाओं में यदि कोई गलत, मिथ्या, सूचना अंकित किया जाना प्रमाणित होता हैं अथवा यदि संस्था द्वारा जांच/निरीक्षण कराये जाने से इंकार किया जाता है तो रजिस्ट्रार को संशोधित विधान, नियमावली, चुनाव, सूचना इत्यादि तथा पंजीयन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

   यदि संस्था द्वारा धारा 4 व 4 (क) की सूचनायें प्रति वर्ष प्रस्तुत नही की जाती है तो संस्था प्रथम दोष सिद्धी पर 500/- जुर्माना तथा दोष सिद्धी जारी रहने पर 50/- प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना के दण्ड की भागीदार होगी।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा4 (ख) की और आकर्षित किया जाता है कि इसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल होने वाला अपराध के सिद्ध होने की दशा में और ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि ऐसे कोई व्यक्ति धारा के अधीत प्रस्तुत की गई सूची में धारा 4 (क) के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण पत्र या नियमों और विनियमों की या उनके किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जानबुझ कर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लेख करता या करवाता है तो वह अपराध सिद्धी पर ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो 2000/- तक का हो सकता है तथा मिथ्या, प्रविष्टि प्रमाणित होने पर ऐसे नियमो, विनियमों व पदाधिकारियों की सूची निरस्त करने का रजिस्ट्रार को पूर्ण अधिकार होगा।

नोट : इस कार्यालय में भविष्य में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था रजिस्ट्रेशन क्रमांक व दिनांक अवश्य अंकित करें।

संलग्न :- मूल प्रमाण पत्र एवं विधान व विधान नियमावली

रजिस्ट्रार संस्थायें
दौसा